रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27082026-275815
CG-DL-E-27082026-275815

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 694] **नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 25, 2026/भाद्र 3, 1948**
No. 694] **NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 25, 2026/BHADRA 3, 1948**

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 2026

सा.का. नि. 760(अ).— केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित कतिपय प्रारूप नियम में, जिसे केंद्रीय सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, को इस अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) के द्वारा यथा आवश्यक इसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है; और एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि प्रारूप नियमों को उस तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा जिस तारीख से सरकारी राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं;

विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त होने के पहले उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाले आक्षेपों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

इन प्रारूप नियमों के प्रति आक्षेपों एवं सुझावों, यदि कोई हो, को अपर सचिव (एमवीएल, परिवहन और सड़क सुरक्षा), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 या ईमेल: comments-morth@gov.in, के माध्यम से भेजा जा सकता है।

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (........संशोधन) नियमावली, 2026 है।

(2) परंतु इन नियमों में अन्यथा यथा उपबंधित के सिवाय, ये दिनांक 01 अक्टूबर, 2026 से प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 (इसके बाद उक्त नियमों के रूप में उल्लिखित) के नियम 2 में, उप-नियम (यू) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

> "(यू) 'बैटरी चालित वाहन' से सड़कों पर उपयोग के लिए अनुकूलित और विशेष रूप से एक इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा चालित कोई वाहन अभिप्रेत है, जिसकी कर्षण (ट्रैक्शन) ऊर्जा की आपूर्ति वाहन में विशेष रूप से संस्थापित बैटरी द्वारा की जाती है:

बशर्ते कि दो पहियों वाले बैटरी चालित वाहन को अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मोटर वाहन नहीं माना जाएगा, यदि नियम 126 में निर्दिष्ट परीक्षण एजेंसी द्वारा निम्नलिखित सभी शर्तों को सत्यापित और प्रमाणित किया जाता है, अर्थात्:-

(क) वाहन में 0.6 केवी से कम की तीस मिनट की शक्ति वाली इलेक्ट्रिक मोटर लगी है;

(ख) वाहन की अधिकतम गति 25 किमी/घंटा या समय-समय पर यथासंशोधित के अनुसार कम है;

(ग) वाहन उपयुक्त ब्रेक और रेट्रो-रिफ्लेक्टिव उपकरणों से सुसज्जित है, अर्थात्, सामने की ओर एक सफेद परावर्तक और पीछे की ओर एक लाल परावर्तक;

(घ) एक सहायक इलेक्ट्रिक मोटर से सुसज्जित किसी पैडल-सहायता प्राप्त वाहन के मामले में, उपरोक्त शर्तों के अलावा, मोटर की तीस मिनट की शक्ति 0.6 केवी से कम है और मोटर का आउटपुट उत्तरोत्तर कम हो जाता है और अंत में 25 किमी/घंटा की या समय-समय पर यथासंशोधित के अनुसार की गति तक पहुंचने पर या साइकिल चालक पैडल चलाना बंद कर दे, इससे पहले बंद हो (कट) जाता है।

स्पष्टीकरण.-मोटर की तीस मिनट की शक्ति का वही तात्पर्य होगा जो एआईएस-049 (संशोधन 1) में निर्दिष्ट किया गया है और सत्यापन की विधि एआईएस-041 (संशोधन 1), समय-समय पर यथासंशोधित के अनुसार निर्धारित की जाएगी। उपरोक्त परंतुक में निर्दिष्ट सभी वाहन समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस-049 (संशोधन 1) के अनुलग्नक-क में निर्दिष्ट सुरक्षा आवश्यकताओं का अनुपालन करेंगे।

3. नियम 125-ढ में,

i. परंतुक के मद (i) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा:

(i) वाहन एक इलेक्ट्रिक मोटर से सुसज्जित है जिसमें 0.6 किलोवाट से कम तीस मिनट की शक्ति है;

(ii) मद (iv) का विलोपन किया जाएगा"

[फा. सं. आरटी-11036/23/2026-एमवीएल]

महमूद अहमद, अपर सचिव

नोटः मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उप धारा (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 889(अ), दिनांक 16 सितंबर, 2020 के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे और उन्हें पिछली बार अधिसूचना संख्या सा.का.नि...........(अ), दिनांक .... द्वारा संशोधित किया गया।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New delhi, the 21st August, 2026

G.S.R. 760(E).—The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act, for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India, are made available to the public;

The objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft rules before the expiry of the aforesaid period will be considered by the Central Government.

Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Additional Secretary (MVL, Transport & Road Safety), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001 or on the email: comments-morth@gov.in;

Draft Rules

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles .... Amendment) Rules, 2026.

2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on 01st October 2026.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2, for sub-rule (u), the following shall be substituted, namely:

"(u) 'Battery Operated Vehicle' means a vehicle adapted for use upon roads and powered exclusively by an electric motor whose traction energy is supplied exclusively by a traction battery installed in the vehicle:

Provided that a two-wheeled battery-operated vehicle shall not be deemed to be a motor vehicle for the purposes of the Act, if all the following conditions are verified and certified by a testing agency specified in rule 126, namely:-

(a) the vehicle is equipped with an electric motor having thirty-minute power of less than 0.6 kW;

(b) the maximum speed of the vehicle is less than 25 km/h or as amended from time to time;

(c) the vehicle is fitted with suitable brakes and retro-reflective devices, namely, one white reflector in the front and one red reflector at the rear;

(d) in the case of a pedal-assisted vehicle equipped with an auxiliary electric motor, in addition to the above conditions, the thirty-minute power of the motor is less than 0.6 kW and the motor output is progressively

reduced and finally cut off as the vehicle reaches a speed of 25 km/h or as amended from time to time, or sooner if the cyclist stops pedalling.

Explanation.-The thirty-minute power of the motor shall have the meaning assigned to it in AIS-049 (Rev.1), and the method of verification shall be as prescribed in AIS-041 (Rev.1), as amended from time to time. All vehicles specified in the above proviso shall comply with the safety requirements specified in Annex A of AIS-049 (Rev. 1), as amended from time to time."

3. In rule 125-N,

i. The item (i) of the proviso shall be substituted by the following namely:-

"(i) Vehicle is equipped with an electric motor having thirty minute power less than 0.6 kW;"

ii. Item (iv) shall be omitted."

[F. No. RT-11036/23/2026-MVL]

MAHMOOD AHMED, Addl Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R. 889(E), dated the 16th September, 2020, and lastly amended vide Notification number …….. Dated………….

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. RAVINDER KUMAR Digitally signed by RAVINDER KUMAR Date: 2026.08.27 19:17:52 +05'30'